

# भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2019

## अनुशंसा विवरण और कट-आफ अंक

### (श्रेणी-वार)

क्रम संख्या	श्रेणी	रिक्तियाँ	अनुशंसित बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्तियाँ	अनुशंसित उम्मीदवार (गैर-बेंचमार्क विकलांगता वाले)	न्यूनतम अहर्ता मानक <sup>#</sup> [प्रारम्भिक परीक्षा] (200 में से)	न्यूनतम अहर्ता मानक <sup>#</sup> [लिखित परीक्षा] (1400 में से)	अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के अंक [अंतिम चरण] (1700 में से)
1.	सामान्य	38	01	35 <sup>@</sup>	35 (सामान्य मानक पर 02 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं 07 अ.पि.व. सहित)	116.00	686	918
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	09	शून्य	09	09	112.66	615	839
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	01	23	23	114.66	661	876
4.	अनुसूचित जाति	13	शून्य	13	13	101.34	609	832
5.	अनुसूचित जनजाति	06	शून्य	06	06	101.34	598	849
	<b>कुल</b>	90	02	86	86	-	-	-
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार</b>								
क.	बेंचमार्क विकलांगता-1	01	शून्य	01	-	-	-	उम्मीदवार उपलब्ध नहीं
ख.	बेंचमार्क विकलांगता-2	02	02 (01 सामान्य एवं 01 अ.पि.व.)	-	-	74.66	482	794
ग.	बेंचमार्क विकलांगता-3	01	शून्य	01	-	42.66	258	उम्मीदवार उपलब्ध नहीं
	<b>कुल</b>	04	02 (01 सामान्य एवं 01 अ.पि.व.)	02	-	-	-	-

\* सामान्य अध्ययन पेपर-1 के आधार पर कट-ऑफ। भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2019 के नियम 13 के अनुसार सामान्य अध्ययन पेपर-1 केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का है जिसमें 33% अंक जरूरी हैं।

# प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 5% अंक प्राप्त करना जरूरी है।

@ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय जापन संख्या 36035/02/2017-स्था. (आरक्षण) के नियम-8 के उप-नियम-8.1 के अनुसार 01 बेंचमार्क विकलांगता-1 एवं 01 बेंचमार्क विकलांगता-3 वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 02 रिक्तियों को नहीं भरा गया है।

2. जहां भी दो या अधिक उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2019 में कुल अंक बराबर प्राप्त किए हैं, तो आयोग द्वारा अनुमोदित नियम के अनुसार बराबरी संबंधी मामले का निराकरण इस प्रकार किया गया है, अर्थात:-

- (i) जो उम्मीदवार अनिवार्य विषयों में एवं व्यक्तित्व परीक्षण, दोनों को एक साथ मिलाकर, ज्यादा अंक प्राप्त करता है, उसे उच्चतर रैंक पर रखा जाएगा;
- (ii) यदि ऊपर (i) के अनुसार भी अंक एक समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक में रखा जाएगा।